कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्था/ 2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री कुंज बिहारी भारद्वाज, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोपा खेड़ा, जिला उदयपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गवार, जिला राजसमन्द किया गया था जिसके विरूद्ध श्री कुंज बिहारी भारद्वाज द्वारा माननीय राजस्थान अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3416/2019 कुंज बिहारी भारद्वाज बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3416/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2019 द्वारा अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय एवं राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए 15 दिवस में निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वंय की पारिवारिक परिस्थितियों एवं विधालय उत्थान हेतु किये गये कार्यों को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन राउमावि पई, उदयपुर में पदस्थापित किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त स्थानान्तरण आवेदनों को प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश प्राप्त थे। राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा राज्य सेवा के अधिकारी को प्रशासकीय आवश्यकता, विभागीय प्राथमिकता, छात्र एवं राज्य हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। अपीलार्थी द्वारा चाहे गये विधालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी श्री कुंज बिहारी भारद्वाज द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद्द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। अतः श्री कुंज बिहारी भारद्वाज को निर्देशित किया जाता है कि वे विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में नवीन कार्यग्रहित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गवार, जिला राजसमन्द में प्रधानाचार्य के पद पर ही पदस्थापित रहेंगे।

23/12

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील /कुंज बिहारी/3416/2019 दिनांकः 23/12/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, राजसमन्द।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, राजसमन्द।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, राजसमन्द।

Scanned by CamScanner

8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैंबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री कुंज बिहारी भारद्वाज, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Scanned by CamScanner